URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (119) ग्रावि/अनु–5/इ.आ/CMO/2015 जयपुर, दिनांक 26 मई, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः– पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान आवास योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कलेन्डर जारी कर स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं आवासों के औचक निरीक्षण के सम्बंध में।

प्रसंग :– निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण के पत्रांक 2661 दिनांक 02.11.2016 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 13 दिसम्बर, 2016 के क्रम में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश (फ्रेमवर्क) की पालना में योजना की जिला स्तर पर क्रियान्वयन, निगरानी एंव समन्वय हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 2017/30 दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, के डूंगरपुर प्रवास के दौरान क्षेत्र के आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में शिकायते प्राप्त होने पर निम्न निर्देश प्रदान किये। ''इन्दिरा आवास योजना में हुई अनियमिताओं की जांच करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जावें, एवं ऐसी अनियमिताओं की रोकथाम के लिये GIS मैपिंग एवं अन्य प्रभावी व्यवस्था अपनायी जावें''। उक्त सम्बंध में सामाजिक अंकेक्षण दल के माध्यम से आवासों का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने हेतु प्रांसागिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है, योजना की स्वीकृतियां व किश्त हस्तान्तरण पंचायत समिति स्तर से आवाससॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा हैं। किश्त हस्तान्तरण हेतु उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का दायित्व टैग अधिकारियों/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, की अध्यक्षता में दिनांक 24–27 नवम्बर, 2016 तक आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेन्स में ग्रामीण आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण का अभाव प्रकाश में आया है। इसकी पालना में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु माह में 2 बार औचक निरीक्षण रेण्डम आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की कम से कम 5 ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जिला परिषद्, आवास प्रभारी जिला/पंचायत समिति एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति से करवाकर रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त सम्बंध में जिलें की प्रत्येक पंचायत समिति में निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा जारी निर्देशानुसार विशेष सामाजिक अंकेक्षण दलों से भी औचक निरीक्षण करवाकर तदनानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कार्यवाही रिपोर्ट आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

26.5.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।

26/7/16

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि